<u>संख्या-35/2026/115/60-1-2026-सी-1705232</u>

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

<u>महिला कल्याण अनुभाग-1</u> **<u>लखनऊ::दिनांक:: 29 जुलाई, 2026</u>**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत निदेशन तथा प्रशासन मद हेतु द्वितीय छमाही की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक् निदेशालय के पत्र संख्या-297/निदे0म0क0/लेखा-बजट-वि0स्वी0/2026-27, दिनांक 28.07.2026 के सन्दर्भ में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में पूर्णतया राज्य पोषित अधिष्ठान व्यय हेतु लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-महिला कल्याण निदेशालय हेतु प्राविधानित कुल धनराशि रू0 28,56,14,000/- के सापेक्ष द्वितीय छमाही हेतु **रू0 14,28,07,000/- (रूपये चौदह करोड़ अठ्ठाईस लाख सात हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये निदेशक, महिला कल्याण के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्तो/प्रतिबन्धों</u>

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वितीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(5) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि के उपयोग में निदेशक, महिला कल्याण द्वारा योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(8) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं है, जिन मामलों में उ0प्र0, बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(9) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग GFR व समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों/आदेशों के अनुसार समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(11) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा स्वीकृत धनराशि वित्तीय नियमों के अन्तर्गत परीक्षण करते हुये स्थानान्तरित की जायेगी।

(12) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बन्धी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

(13) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि व्यय लोकहित में है और व्यय पर प्रभावी नियंत्रण किया जायेगा तथा आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण एवं मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी निदेशालय, महिला कल्याण का होगा। किसी भी विचलन की स्थिति में वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षक:2235020010300 (महिला कल्याण निदेशालय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	01 वेतन	5,72,17,500 (रुपये पाँच करोड़ बहत्तर लाख सत्रह हजार पाँच सौ मात्र)
2	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	03 मंहगाई भत्ता	3,71,91,500 (रुपये तीन करोड़ इकहत्तर लाख इक्यानबे हजार पाँच सौ मात्र)
3	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	04 यात्रा व्यय	2,57,500 (रुपये दो लाख सत्तावन हजार पाँच सौ मात्र)
4	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	31,000 (रुपये इकतीस हजार मात्र)
5	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	06 अन्य भत्ते	2,65,000 (रुपये दो लाख पैंसठ हजार मात्र)
6	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	07 मानदेय	6,18,000 (रुपये छह लाख अठारह हजार मात्र)
7	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	08 कार्यालय व्यय	8,56,000 (रुपये आठ लाख छप्पन हजार मात्र)
8	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3,50,000 (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र)
9	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3,50,000 (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र)
10	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	13 टेलीफोन पर व्यय	4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
12	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3,15,000 (रुपये तीन लाख पन्द्रह हजार मात्र)
13	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	18 प्रकाशन	36,000 (रुपये छत्तीस हजार मात्र)
14	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	42 अन्य व्यय	22,50,000 (रुपये बाईस लाख पचास हजार मात्र)
15	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
16	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	45 अवकाश यात्रा व्यय	51,500 (रुपये इक्यावन हजार पाँच सौ मात्र)
17	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	25,75,000 (रुपये पच्चीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)
18	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	11,00,000 (रुपये ग्यारह लाख मात्र)
19	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	49 चिकित्सा व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
20	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	51 वर्दी व्यय	75,000 (रुपये पचहत्तर हजार मात्र)
21	049	2235020010300 महिला कल्याण	55 मकान किराया भत्ता	43,62,000 (रुपये तैंतालीस लाख बासठ हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		निदेशालय		
22	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	57 प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	2,06,000 (रुपये दो लाख छह हजार मात्र)
23	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2,90,00,000 (रुपये दो करोड़ नब्बे लाख मात्र)
	महायोग			14,28,07,000 (रुपये चौदह करोड़ अट्ठाईस लाख सात हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(प्रेम प्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in